Witness No– 01 **For**– अभियोजन **Deposition taken the**– 08.01–2026 **Day of**– गुरूवार **Witness's Apparent Age**– 31 वर्ष **States on Affirmation**– शपथ पूर्वक **My Name is**–श्रीमती हर्षा ठाकरे **D/O** श्री जे एस देशमुख **ccupation**– गृहणी **Address**– न्यू आदर्श नगर, जोन क्रमांक 01, बी 02 लाईन, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ०ग०)

प्रकरण क्रं. 3054/2022

शासन विरूद्ध विजय ठाकरे वगै०

समय 04.05 P.M.से प्रारंभ

शपथपूर्वक कथन --

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ वास्ते अभियोजन

01– मै आरोपीगण विजय ठाकरे, रेखलाल ठाकरे एवं श्रीमती धनवंता ठाकरे, को जानती पहचानती हूॅ। मेरा विवाह मोती नगर बालाघाट निवासी विजय ठाकरे के साथ हिन्दु रिति रिवाज के साथ दिनांक 26.11.2020 को संपन्न हआ था। विवाह के समय मेरे माता पिता सोने चांदे के जेवरात व घरेलू सामान व दो लाख रूपये स्वेच्छा पूर्वक उपहार स्वरूप दिये थे, विवाह के पश्चात मै ससुराल बालाघाट में अपने पति विजय ठाकरे सहित रहने लगी, कुछ दिन बार मेरे पति, मेरे सास धनवंती ठाकरे, रेखलाल ठाकरे के साथ छोटी छोटी बातों में आपस मे कहा सुनी हो गई थी, तब मै गुस्से में आकर आरोपीगण के विरूद्ध लिखित शिकायत कर दी थी, लिखित शिकायत प्र०पी० 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। लिखित शिकायत के आधार पर आरोपीगणके विरूद्ध थाना दुर्ग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। इसके अवाला मुझे घटना की कोई जानकारी नही है। जप्ती पत्रक प्र०पी० 03, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं पुलिस को बयान नही दी हूॅ।

08/01/26

टीपः- इसी स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक स्तर के प्रश्न पुछे जाने की अनुमति चाही गयी । विचार बाद अनुमति दी गयी ।

02- यह कहना गलत है कि विवाह के 15 दिन बाद मैं पग फेरे रसम के लिये मैं मायके आई थी और रस्म पुरा होने के बाद जब मैं ससुराल गई तो मेरे सास धनवंतरा ठाकरे, ससुर रेखलाल ठाकरे, नंनद जेवती चौधरी ससुराल घर में ही रहती थी और मुझे छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगे और बोलते थे कि विवाह में तुम्हारे मा बाप ने ढंग का व्यवस्था नही किया था, हमारा एकलौता बेटा है दान दहेज ढंग का देगें पर ऐसा नही हुआ बोलते थे।

03- यह कहना गलत है कि कंगाल घर से आई हो तुम्हारे मां बाप ने खाली हाथ भेजा है, 50 साडी लेकर आना था, अपने लडके को गवार लडकी से शादी करवा दी कर बोलकर मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे और इस बात पर मेरे पति विजय ठाकरे भी उनका साथ देता था। यह कहना गलत है कि मेरी सास व ननद आये दिन मेरे पति को मेरे खिलाफ भडकाया करती थी, जिसके कारण मेरा पति मुझसे मारपीट करता था।

04- यह कहना गलत है कि मेरी ननद व मेरी सास आये दिन मेरे पिता को छोड दो और दुसरी शादी कर लो कहती थी। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने मौहाल खराब है कहकर मुझे मायके छोडकर आ गया था। यह कहना गलत है कि मेरे पति से तंग आकर उनके नौकरी के स्थान पर चली गई थी, तब मेरे पति ने वहा जाने की बात की जानकारी होने पर वह बालाघाट चला गया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 24.07.2021 को भोपाल में उनके पास गई थी और उनके साथ रहने लगी थी, तब मेरे पति का व्यवहार सामान्य था, किन्तु ससुरालों के द्वारा आये दिन मेरे पति को भडका

08/01/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
दुर्ग (छ.ग.)

कर कहते थे कि उनको मायके छोड कर आ जावों। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने इन्टरव्यू देना है झूठ बोलकर मुझे मायके छोड दिया था। दिनांक 23.08.2023 को तुमको वापस लेने आउगाँ कहकर मुझे वापस लेने नही आये।

05- यह कहना गलत है कि मेरे पति और ससुराल वालो ने अपने साथ रखने से मना कर दिया था। यह कहना सही है कि मै आरोपीगण के विरूद्ध स्वच्छेपूर्वक राजीनामा कर लिया हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं अपने पति, सास, ससुर और ननद से राजीनामा कर लिया है, इसलिये मेरे पति द्वारा मारपीट और पति, सास ससुर ननंद के द्वारा पैसे और साडी की मांग व दहेज की बात व शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करने वाली बात आज मैं न्यायालय मे नही बता रही हूॅ। यह कहना गलत है कि मेरे सास, ससुर एवं ननद के द्वारा मुझे कभी भी 50 साडी मायके से लेकर आने का नही कहा था।

06- यह कहना सही है कि 27.11.2021 को मेरे द्वारा गवाहो की उपस्थिति में विवाह पत्रिका, विवाह फोटा, स्त्री धन की सूची मेरे द्वारा पेश करने पुलिस वालों ने जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर, जप्ती पत्रक पर मेरा हस्ताक्षर लिया था, साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र०पी० 04 के मै उक्त पते....... लिखी गई, को पढकर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैने पुलिस को ऐसा कोई भी कथन नही दिया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश मिश्रा वास्ते आरोपी</u>

07- यह कहना सही है कि प्र०पी 01 तथा 02 का हस्ताक्षर करते समय मैने नही देखा था कि उसके उपर क्या लिखा था, साक्षी प्र०पी० 01 की शिकायत न तो मेरे

28/01/26
कु. [illegible]
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
दुर्ग (छ.ग.)

बताये अनुसार, न ही मेरे समक्ष टाईप किया गया था। प्र०डी०-01 स्त्री धन सूची मेरे बताये अनुसार नही बनाया गया था, मैने उसपर बिना पढे हस्ताक्षर कर दिया था। यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा मुझसे कभी भी दहेज की मांग नही की गई थी। यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा मुझे कभी भी दहेज की मांग करते हुये प्रताडित नही किया गया था।

08- यह कहना सही है कि विवाह के समय मेरे पिता एवं घरवालों के द्वारा आरोपीगण को दहेज नही दिया गया था। यह कहना सही है कि मैने पुलिस को प्रपी० 04 का कथन नही दिया था, मुझे नही मालुम की पुलिस ने उक्त कथन कैसे लिखा है।

समय 05.00 P.M. में समाप्त ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
साक्षी ने सही होना स्वीकार किया ।

08/01/26

(कु० रीतिका ढिडही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दुर्ग (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

08/01/26

(कु० रीतिका ढिडही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दुर्ग (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर